संख्या- 45/2018/1057/30-3-18-6बी/2014

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनॉक 30 मार्च, 2018**

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-377स0सु0/2018-02स0सु0/2017, दिनॉक 22-03-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1508.90 लाख से उक्त कार्य हेतु धनराशि रू0 548.75 लाख शासनादेश संख्या-30/2017/1292/30-3-17-6बी/2014, दिनांक 15-05-2017, शासनादेश संख्या-102/2017/5395/30-3-17-6बी/2014, दिनांक 05.12.2017 व शासनादेश संख्या-22/2018/832/30-3-18-6बी/2014, दिनांक 12-03-2018 द्वारा परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है, जिसमें से रू0 5,41,14,906/- (रू0 पांच करोड़ इकतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ छः मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सूचना विभाग को अंतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	एफएम/रेडियो/टेलीविज़न/एकएमएस आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-
2	सड़क सुरक्षा कोष से परिवहन सवारी/स्कूल बसों के पैनल पर सड़क सुरक्षा संदेश के लिये सीट लगाने हेतु	45,00,000/-	44,97,406/-
3	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गुड सेमेरिटियन (नेक आदमी) के संरक्षण एवं बचाव हेतु दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार होर्डिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में।	75,00,000/-	74,92,500/-
4	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों/यातायात नियमों से सम्बन्धित पत्रिका का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में।	75,00,000/-	75,00,000/-
5	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों/यातायात नियमों से सम्बन्धित विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाना।	85,00,000/-	85,00,000/-
6	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों/यातायात नियमों के एल0ई0डी0 स्क्राल/स्क्रीन पर डिजिटल डिस्प्ले किये जाने के सम्बन्ध में।	1,68,75,000/-	1,61,25,000/-
	योग -	5,48,75,000/-	5,41,14,906/-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 तथा क्रय संबंधी मामलों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2015, दिनांक 15-11-2017 एवं उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिचित किया जायेगा।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(8) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0 ई-9-155/10-18, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0/-
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-45/2018/1057(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।